



मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 17.09.2025

थाना को0कटरा, एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा कम्पनी में नौकरी देने का झासा देकर धन उगाही करने वाले गिरोह का पर्दाफाश 14 अभियुक्त गिरफ्तार, 03 अदद मोटर साइकिल, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर आदि बरामद —

थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 16.09.2025 को वादी तनिष उमराव पुत्र नारेन्द्र निवासी कानपुर नौबस्ता गल्ला मण्डी, कानपुर द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कम्पनी में नौकरी देने का झासा देकर धन उगाही करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गयी। उक्त प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-282/2025 धारा 318(4),316(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु थानाध्यक्ष को0कटरा व एसओजी की संयुक्त टीम को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में एस.ओ.जी./सर्विलांस व थाना को0कटरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक: 16.09.2025 को जरिए मुखबिर सूचना आधार पर थाना को0कटरा क्षेत्रांतर्गत जंगीरोड़ ककरहवा से 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 अदद मोटर साइकिल, 10 मोबाइल फोन, कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर आदि बरामद किया गया तथा अभियुक्तों के बैंक खातों में फ्रॉड कर नौकरी के नाम पर लिये गये लगभग 08 लाख रुपये सीज किये गये। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0कटरा द्वारा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

पूछताछ अभियुक्तगण- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा हम लोगों द्वारा Lead Vision Trading India Private Ltd. नामक कम्पनी में प्रदेश के विभिन्न जनपद से अलग-अलग लोगो सम्पर्क कर नौकरी के नाम पर बुलाते हैं तथा उनको नौकरी का झासा देकर 22000/- रुपये प्रति व्यक्ति पैसा वसूलते हैं तथा पैसा न मिलने पर उनको बन्धक बनाकर मारते-पीटते हैं तथा जान से मारने का भय दिखा कर उनके द्वारा फर्जी कम्पनियों के सौन्दर्य प्रसांधन के वस्तुएं जबरन खरीदवाकर पैसा वसूलते हैं। इस प्रकार से प्राप्त धन को हमलोग आपस में बाटकर भौतिक सुख-सुविधा का लाभ उठाते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. शेष अवतार पुत्र राजबीर निवासी तलवार थाना डिवाई जनपद बुलन्दशहर, उम्र-20 वर्ष।
2. अरविन्द कुमार पुत्र शिवचरन निवासी ग्राम डोरीनगर थाना एटा जनपद अलीगढ़, उम्र-33 वर्ष।

3. बब्लू गुप्ता पुत्र रामेश्वर प्रसाद निवासी औरंगाबाद थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ, उम्र-49 वर्ष ।
4. हवन सिंह पुत्र सुरेश निवासी ग्राम मौमा थाना कानीबाड़ा जनपद शिवनी, मध्य प्रदेश, उम्र- 25 वर्ष ।
5. पवन पुत्र सुरेश निवासी ग्राम मौमा थाना कानीबाड़ा जनपद शिवनी, मध्य प्रदेश, उम्र – 25 वर्ष ।
6. निखिल कुमार पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासी मौहम्दपुर कला डिवाई जनपद बुलन्दशहर, उम्र-20 वर्ष ।
7. लवकुश पुत्र बीरपाल निवासी बुरहानपुर थाना डिवाई जनपद बुलन्दशहर, उम्र-30 वर्ष ।
8. निलेश सक्सेना पुत्र मनीराम सक्सेना निवासी बुढ़नपुर थाना मझिला जनपद हरदोई, उम्र 23 वर्ष ।
9. विजय सक्सेना पुत्र मनीराम सक्सेना निवासी बुढ़नपुर थाना मझिला जनपद हरदोई, उम्र 27 वर्ष ।
10. राजा कुमार पुत्र पवन कुमार सिंह निवासी डुमड़ा थाना सोनवर्षा जनपद सहरसा , बिहार, उम्र 30 वर्ष ।
11. संतोष पुत्र प्रेमपाल निवासी बुरहानपुर थाना डिवाई जनपद बुलन्दशहर, उम्र-21 वर्ष ।
12. रंजीत कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार निवासी अनुपपुर थाना सिहुली जनपद कानपुर देहात, उम्र 22 वर्ष ।
13. प्रांशु तिवारी पुत्र विपुल तिवारी निवासी अमिलिहा थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर, उम्र 20 वर्ष ।
14. सत्यम पुत्र राकेश कुमार निवासी सकरवा थाना ककवन जनपद कानपुर नगर, उम्र 19 वर्ष ।
विवरण बरामदगी — 03 अदद मोटर साइकिल , 10 मोबाइल फोन , कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्केनर आदि बरामद ।
अभियुक्तों के बैंक खातों में फ्रॉड कर नौकरी के नाम पर लिये गये लगभग-08 लाख रुपये सीज ।
गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —
जंगीरोड़ ककरहवा के पास से, दिनांक: 16.09.2025 को समय 23.29 बजे ।
पंजीकृत अभियोग — मु0अ0सं0-282/2025 धारा 338,336(3),340(2),127(3) बीएनएस थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —
थानाध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह , उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय , उ0नि0 चन्द्रभान सिंह , उ0नि0 कृष्णकान्त त्रिपाठी मय टीम थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।
निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, प्रभारी-एसओजी मय पुलिस टीम ।
उ0नि0 मानवेन्द्र सिंह, प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम ।


